

25.11.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। वादी वकील अनुपस्थित।  
पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन  
पाया वादी अधिवक्ता द्वारा वाद-पत्र मे कोई  
आवश्यक कार्यवाही नही कि जा रही है वादी  
अधिवक्ता को पूर्व पेशी दिनांक 10.03.2022 को 500  
रुप्ये कोष्ट पर अवसर दिया गया था जिस पर आज  
दिनांक तक अमल नही किया गया। वादी व वादी  
अधिवक्ता को बार बार नोट करवाया गया। उपस्थित  
नही आए। वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार  
आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी  
असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वादी  
अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण वादपत्र  
प्रार्थी अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया  
जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल  
दफ्तर हो।

  
सहायक कलक्टर  
एव उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़